राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

क्रमांक प. 12/17( ) राजस्व/भू.अ./2018/1474-77 दिनांक :- 23.7.2020

प्रेषितः

उपखण्ड अधिकारी
कुम्भलगढ

विषय :- राजसमन्द जिले में केन्द्रीय संरक्षित स्मारक "कुम्भलगढ दुर्ग" पर पर्यटकों की सुविधाओं हेतु यथा पार्किंग स्थल, सूचना केन्द्र, टिकिट घर, शौचालय, अमानत गृह वगैराह की सुविधायें विकसित करने हेतु

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजसमन्द जिले में केन्द्रीय संरक्षित स्मारक "कुम्भलगढ दुर्ग" पर पर्यटकों की सुविधाओं हेतु यथा पार्किंग स्थल, सूचना केन्द्र, टिकिट घर, शौचालय, अमानत गृह वगैराह की सुविधायें विकसित करने हेतु विचाराधीन मामले में अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार जोधपुर मण्डल, जोधपुर (राज.) के पत्रावली संख्या 07/9/जोध/सर्वे/कुम्भ/भू.अधि./2017/भाग।।/4504 दिनांक 20.01.2020 एवं समसंख्यक पत्रांक 5000 दि. 25.02.2020 की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर भिजवायी जा रही है। जिसमें सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन कराने हेतु 26.12.2019 को आयोजित जन सुनवाई के बाद अंतिम रूप दे दिया गया है।

प्रकरण में प्रस्तावित भूमियों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के प्रावधानो अनुसार आंकलन के अंतिम प्रतिवेदन का मूल्यांकन एक स्वतंत्र बहुविषयक विशेषज्ञ समूह द्वारा किया जाना है तथा विशेषज्ञ समूह द्वारा परामर्श की तारीख से 02 माह की अवधि के अन्दर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की जानी है।

अतः आप केन्द्रीय संरक्षित स्मारक "कुम्भलगढ दुर्ग" पर पर्यटकों की सुविधाओं हेतु यथा पार्किंग स्थल, सूचना केन्द्र, टिकिट घर, शौचालय, अमानत गृह वगैराह की सुविधायें विकसित करने हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए पुनरक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र बहुविषयक विशेषज्ञ समूह यथाशीघ्र गठित करे तथा रिपोर्ट 01 माह में जिला कार्यालय में प्रस्तुत करे। साथ ही पुनरक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट की एक कलर प्रति जन सामान्य के अवलोकन हेतु संलग्न पत्र के भिजवायी जा रही है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल, IAS)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ भेजी जाती है :-

1. अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार जोधपुर मण्डल, जोधपुर (राज.)
2. तहसीलदार कुम्भलगढ।
3. एसीपी, डीओआईटी, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार पुनरक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट मय सीडी संलग्न भिजवायी जा रही है जिसे जिला कार्यालय की वेवसाईट पर अपलोड किया जाकर मूल प्रति पुनः भिजावे।

जिला कलक्टर
राजसमन्द

29/7/2020

Scanned with CamScanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कुंभलगढ़

क्रमांक–राजस्व/2020/247–259 दिनांक– 18.08.2020

–:कार्यालय आदेश:–

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, राजसमंद के पत्र क्रमांक 12/17 ( ) राजस्व/भू. अ. /2018/1474–77 दिनांक 23.07.2020 के अनुसरण में इस कार्यालय द्वारा आदेश क्रमांक राजस्व/2020/235–246 दिनांक 14.08.2020 के माध्यम से केन्द्रीय संरक्षित स्मारक "कुंभलगढ़ दुर्ग" पर पर्यटकों की सुविधाओं हेतु यथा पार्किंग स्थल, रचना केन्द्र, टिकट घर, शौचालय, अमानत गृह वगैरह की सुविधायें विकसित करने हेतु भूमि अधिग्रहण के लिएं पुनरीक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के मूल्याकंन हेतु 10 सदस्यीय **स्वतंत्र बहुविषयक विशेषज्ञ समूह** का गठन किया गया था, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए विशेषज्ञ समूह का गठन निम्नानुसार किया जाता है जिसमें –

1. वरिष्ठ संरक्षण सहायक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उपमण्डल उदयपुर – अध्यक्ष
2. सहायक पर्यटन अधिकारी, राजसमंद–सदस्य
3. सहायक वन संरक्षक, कुंभलगढ़, मु0 सादड़ी, राजसमंद–सदस्य
4. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग, आमेट–सदस्य
5. भू–अभिलेख निरीक्षक, केलवाड़ा–सदस्य
6. सरपंच, गवार–सदस्य
7. उपसरपंच, गवार–सदस्य
8. पटवारी, पटवार मण्डल, गवार– सदस्य
9. ग्राम विकास अधिकारी, गवार– सदस्य
10. श्री हिम्मत श्रीमाली, समन्वयक, कुंभलगढ़, गैर सरकारी संगठन– सेवा मंदिर–सदस्य
11. श्री मोहनलाल गमेती, समन्वयक, कुंभलगढ़, गैर सरकारी संगठन– आजीविका ब्यूरो संस्था–सदस्य

उक्त बहुविषयक विशेषज्ञ समूह की बैठक दिनांक 20.08.2020 को प्रातः 11:00 बजे उपखण्ड कार्यालय, कुंभलगढ़ में रखी गई है। अतः अनिवार्य रूप से निर्धारित समय पर उपस्थित होवें।

उपखण्ड अधिकारी
कुम्भलगढ़, जिला– राजसमन्द

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1.श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, राजसमंद।

2. श्री.....

उपखण्ड अधिकारी
कुम्भलगढ़, जिला– राजसमन्द

Scanned with CamScanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कुंभलगढ़

कमांक–राजस्व/2020/262-264 दिनांक– 20.08.2020

प्रेषिति–श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,
राजसमन्द।

विषय– राजसमन्द जिले में केन्द्रीय संरक्षित स्मारक "कुंभलगढ़ दुर्ग" पर पर्यटकों की सुविधाएं हेतु यथा पार्किंग स्थल, सूचना केन्द्र, टिकट घर, शौचालय, अमानत गृह वगैरह की सुविधाएं विकसित करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आदेश कमांक प.12/17( ) राजस्व/भू.अ./2018/1474–77 दिनांक 23.07.2020 के अनुपालन में कुंभलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधाएं विकसित करने हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए पुनरीक्षित सामाजिक समाघात निर्धारित अध्ययन रिपोर्ट के मूल्याकंन हेतु स्वतंत्र बहु–विषयक ग्यारह सदस्यीय विशेषज्ञ समूह का गठन इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2020/235–246 दिनांक 18.08.2020 के द्वारा किया गया, जिसकी बैठक आज दिनांक 20.08.2020 को निर्धारित समय पर उपखण्ड कार्यालय, कुंभलगढ़ में सम्पन्न हुई।

विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात आंकलन के अंतिम प्रतिवेदन का नियमानुसार मूल्याकंन कर हस्ताक्षरित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो मूल रूप में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 8 के अन्तर्गत समूचित सरकार के विनिश्चय हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुंभलगढ़

उपखण्ड अधिकारी
कुंभलगढ़
जिला–राजसमन्द (राज.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल।
2. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
कुंभलगढ़

उपखण्ड अधिकारी
कुंभलगढ़
जिला–राजसमन्द (राज.)

स्वतंत्र बहु–विषयक विशेषज्ञ समूह की मूल्यांकन रिपोर्ट

कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधाऐं विकसित करने हेतु भुमि अधिग्रहण के लिए पुनरीक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2016 के नियम 10 के प्रावधानानुसार मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र बहु–विषयक 11 सदस्यीय विशेषज्ञ समूह का गठन श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ द्वारा आदेश क्रमांक राजस्व/2020/235–246 दिनांक 18.08.20 के माध्यम से किया गया तथा विशेषज्ञ समूह की बैठक आज दिनांक 20.08.20 को प्रातः 11:00 बजे उपखण्ड कार्यालय कुम्भलगढ़ में आयोजित की गई।

निर्धारित समय और स्थान पर विशेषज्ञ समूह की बैठक आज दिनांक 20.08.20 को संपन्न हुई, जिसमे सर्वप्रथम विशेषज्ञ समूह के नामित अध्यक्ष वरिष्ठ संरक्षण सहायक, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, उपमण्डल उदयपुर द्वारा समस्त सदस्यों का परिचय प्राप्त किया गया तथा सामाजिक समाघात आंकलन के अंतिम प्रतिवेदन की प्रतियो के वितरण उपरांत परियोजना की रूप रेखा, आवश्यकता व लाभ तथा प्रभाव आदि की जानकारी से उपस्थित समस्त सदस्यों को अवगत कराया गया। समूह द्वारा सामाजिक समाघात अध्ययन की प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन करने के उपरांत, प्रकरण में निहित समस्त पहलुओं तथा तथ्यों को ध्यान में रखकर चर्चा की गई तथा स्थल निरीक्षण व विचार–विमर्श के उपरांत निम्नलिखित निष्कर्ष पाए गए –

1. कुम्भलगढ़ दुर्ग के लिए नवीन पार्किंग निर्माण से एक ओर आए दिन लगने वाले जाम से पर्यटकों तथा स्थानीय लोगो को राहत मिलेगी तथा यातायात सुव्यवस्थित होगा। वही दूसरी ओर पर्यटन विकास की दृष्टि से भी यह परियोजना लाभप्रद सिद्ध होगी।
2. परियोजना के लिए तकनीकी रूप से उचित निर्माण स्थल का चयन किया गया है तथा आवश्यकता अनुसार न्यूनतम भूमि ही अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है।
3. परियोजना के लिए पूर्व में कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है तथा इस प्रयोजन हेतु अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है।
4. परियोजना निर्माण से किसी व्यक्ति के भी विस्थापित होने की स्थिति नहीं आएगी, अतः पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं होगी।
5. परियोजना में अवाप्त निजी भूमि का मुआवजा उपरोक्त अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा नियमानुसार दिया जाएगा।
6. परियोजना के संभाव्य लाभ प्रतिकूल समाजिक समाघातो तथा खर्चो की तुलना में बहुत अधिक है।

अतः स्वतंत्र बहु–विषयक विशेषज्ञ समूह की अनुशंषा में उपरोक्त पर्यटन विकास परियोजना अपने निहित लोक प्रयोजन के उद्देश्य को पूरा करेगी।

वरिष्ठ संरक्षण सहायक
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, उपमण्डल उदयपुर–अध्यक्ष

20/8/2020
सहायक पर्यटन अधिकारी, राजसमन्द

सहायक वन संरक्षक, कुंभलगढ़
मु. सादड़ी, राजसमंद–सदस्य

अधिशाषी अभियंता,
सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग, आमेट–सदस्य

भू–अभिलेख निरीक्षक, केलवाड़ा–सदस्य

सरपंच, गवार–सदस्य

उपसरपंच, गवार–सदस्य

पटवारी, पटवार मण्डल, गवार–सदस्य

ग्राम विकास अधिकारी, गवार–सदस्य

श्री हिम्मत श्रीमाली, समन्वयक, कुंभलगढ़,
गैर सरकारी संगठन– सेवा मंदिर–सदस्य

श्री मोहनलाल गमेती, समन्वयक, कुंभलगढ़,
गैर सरकारी संगठन–आजीविका ब्यूरो संस्था–सदस्य